

6 December 2024

विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस

सन्दर्भ: 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया, जोकि पृथ्वी पर निवास करने वाले बहुमूल्य वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

भारत की जैव विविधता अवलोकन:

- भारत विश्व के भूमि क्षेत्र का मात्र 2.4% ही कवर करता है, लेकिन यहां विश्व की 7-8% दर्ज प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 45,000 पौधों की प्रजातियां और 91,000 पशु प्रजातियां शामिल हैं।
- इस समृद्ध जैव विविधता के कारण ही भारत को एक विविधता वाला देश माना जाता है, जोकि अद्वितीय पारिस्थितिकी प्रणालियों और वन्य जीवन का घर है।
- भारत 10 जैवभौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें विश्व के 8.58% स्तनधारी, 13.66% पक्षी प्रजातियां तथा अन्य प्रजातियों का महत्वपूर्ण भाग मौजूद है।
- 34 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट (हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट-श्रीलंका, सुंडालैंड) में से चार भारत में स्थित हैं।
- इस समृद्धि के बावजूद, भारत की प्राकृतिक संपदा को आर्थिक विकास और बढ़ती जनसंख्या के कारण दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

वन्यजीवन पर मानव प्रभाव:


- भारत की बड़ी और युवा आबादी (65% 35 वर्ष से कम आयु की) के कारण भूमि, लकड़ी और कोयले जैसे संसाधनों की मांग बढ़ जाती है, जिससे आवास नष्ट हो जाते हैं।
- देश के वन्यजीव अभयारण्य शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के बावजूद अतिक्रमण और अवैध शिकार के खतरों का सामना करते हैं।

गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ:

- वर्ष 2022 तक भारत में 73 प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत हैं, जोकि वर्ष 2011 की 47 प्रजातियों से उल्लेखनीय वृद्धि है।
- खतरे में पड़ी प्रजातियों में स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप शामिल हैं, जिनमें से कई विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानिक हैं। कुछ प्रजातियाँ जो अधिक जोखिम का सामना कर रही हैं:
- **कश्मीरी बारहसिंगा (हंगुल):** यह कश्मीर के जंगलों में पाया जाता है तथा आवास की हानि और अवैध शिकार के कारण खतरे में है।
- **मालाबार लार्ज-स्पॉटेड सिवेट:** पश्चिमी घाट का मूल निवासी, आवास विनाश के कारण संकटग्रस्त।
- **अंडमान शू (तैतमू), निकोबार शू, जेनकिन्स शू:** द्वीपों के लिए स्थानिक, निवास स्थान के नुकसान के कारण संकटग्रस्त।
- **नमदाफा उड़ने वाली गिलहरी, बड़ा चट्टान चूहा:** उत्तर पूर्व के

सुदूर क्षेत्रों में पाया जाता है, वनों की कटाई के कारण लुप्तप्राय है।

- **लीफलेटिड लीफ-नोन्ड बैट:** पूर्वोत्तर भारत का मूल निवासी, निवास स्थान के नष्ट होने का खतरा।
- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:** बिजली लाइनों और आवास विनाश से खतरे में, विशेष रूप से राजस्थान में पाया जाता है।



संरक्षण प्रयास:

- भारत ने वन्यजीव रिजर्व और अभयारण्य स्थापित किए हैं, हालांकि उन्हें अपर्याप्त वित्त पोषण और अतिक्रमण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
- वैश्विक संरक्षण प्रयास, जैसे कि जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी), लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के पूरक हैं।

महत्वपूर्ण शब्दावली:

- **गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ:** अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) के अनुसार, वे प्रजातियां जो जंगली क्षेत्रों में विलुप्त होने के गंभीर खतरे का सामना कर रही हैं।
- **स्थानिक प्रजातियाँ:** वे प्रजातियाँ जो केवल विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जिनका संरक्षण करना चुनौतीपूर्ण होता है।

Face to Face Centres



6 December 2024

बॉयलर्स बिल, 2024

संदर्भ: हाल ही में बॉयलर्स विधेयक, 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस विधेयक पर चर्चा की, जिसके बाद इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। अब यह विधेयक लोकसभा में विचारार्थ है।

- विधेयक का उद्देश्य बॉयलर अधिनियम, 1923 को संशोधित और अद्यतन करना, बेहतर बॉयलर सुरक्षा सुनिश्चित करना, नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करना और कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करना है।

विधेयक की पृष्ठभूमि:

- बॉयलर अधिनियम, 1923 बॉयलरों की सुरक्षा और उनके संचालन को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम में 2007 में संशोधन किया गया था।
- बॉयलर विधेयक, 2024 का उद्देश्य कानून को आधुनिक सुरक्षा प्रथाओं के साथ संरेखित करना है और इसमें जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को शामिल करना है।

बॉयलर विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताएं:

- स्पष्ट प्रावधान:** विधेयक को आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करके तैयार किया गया है, जिससे इसके प्रावधान स्पष्ट हो गए हैं। पुराने अधिनियम के प्रावधानों को आसानी से समझने के लिए छह अध्यायों में समूहीकृत किया गया है।
- गैर-अपराधीकरण:** सात में से तीन अपराधों को गैर-अपराधीकरण कर दिया गया है, गैर-आपराधिक अपराधों के लिए जुर्माने को दंड में बदल दिया गया है। इससे कानूनी बोझ कम हो गया है, जिससे उद्योगों, विशेषकर एमएसएमई को लाभ हो रहा है।
- सुरक्षा उपायों में वृद्धि:** विधेयक यह सुनिश्चित करके सुरक्षा पर जोर देता है कि केवल योग्य और सक्षम व्यक्ति ही मरम्मत का कार्य करें, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कम हो।
- सुव्यवस्थित प्रवर्तन:** दंड को अदालती कार्यवाही के बजाय कार्यकारी तंत्र के माध्यम से लगाने की अनुमति देकर प्रवर्तन को सरल बनाया गया है, जिससे अनुपालन में तेजी आयेगी।
- अप्रचलित प्रावधानों को हटाना:** पुराने अधिनियम से अप्रचलित प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे विधेयक आधुनिक आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक और प्रभावी हो गया है।
- नई परिभाषाएँ और प्रावधान:** विधेयक में कानून को स्पष्ट करते हुए नई परिभाषाएँ और प्रावधान पेश किए गए हैं। इसमें पुराने नियमों को निरस्त करने और नए नियामक ढाँचे को एकीकृत करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

लाभ एवं निहितार्थ:

- व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी):** यह विधेयक नौकरशाही

संबंधी देरी को कम करके और बॉयलर सुरक्षा अनुपालन को सरल बनाकर विनियमों को सुव्यवस्थित करता है, विशेष रूप से एमएसएमई को लाभान्वित करता है।

- सुरक्षा को प्राथमिकता:** यह सुनिश्चित करके कि केवल योग्य कार्मिक ही मरम्मत का कार्य संभालेंगे, विधेयक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है तथा जोखिम को न्यूनतम करता है।
- उद्योग पर प्रभाव:** यह विधेयक व्यवसाय के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देता है, विशेषकर बॉयलर का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए। अदालती कार्यवाही से कार्यकारी दंड की ओर जाने से अनुपालन सरल हो जाता है और देरी कम हो जाती है।
- आधुनिकीकरण और स्पष्टता:** विधेयक प्रावधानों को पुनर्गठित करता है और स्पष्ट परिभाषाएँ प्रस्तुत करता है, जिससे सभी हितधारकों को कानून को अधिक प्रभावी ढंग से समझने और कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष:

बॉयलर विधेयक, 2024 बॉयलर सुरक्षा विनियमों को अद्यतन करता है, नौकरशाही बाधाओं को कम करता है तथा उन्नत सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाता है।

स्थानिक मेंढकों को खतरा: पश्चिमी घाट पर एक अध्ययन

संदर्भ: हाल ही में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (NCF-इंडिया) और बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप (BEAG) द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में यह पाया गया कि कृषि वानिकी प्रथाओं से पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थानिक मेंढकों की कुछ प्रजातियों को खतरा हो सकता है। हालांकि, कुछ मेंढक अपने आवास में इन परिवर्तनों से कम प्रभावित होते हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

- संशोधित आवासों में उभयचर विविधता में कमी:** अध्ययन में यह पाया गया कि धान के खेतों में मेंढकों और अन्य उभयचरों की विविधता सबसे कम थी। बागों में भी मेंढकों की संख्या कम थी। कृषि क्षेत्रों जैसे बागों और धान के खेतों, जहां एक ही फसल उगाई जाती है, जल स्रोत बदल जाते हैं और वनस्पति कम हो जाती है और वह पठारों की तुलना में मेंढकों के लिए कम उपयुक्त होते हैं।
- स्थानिक प्रजातियों पर प्रभाव:** स्थानिक प्रजातियां जैसे बिल खोदने वाला मेंढक (मिनरवेरिया सेप्फी) और गोवा फेजेरवर्या की संख्या आवासों में बहुत कम पाई गई। कृषि वानिकी पद्धतियाँ, पठारों को बागों में बदलना, रॉक पूल जैसे महत्वपूर्ण आवासों को नष्ट कर देती हैं, जोकि मानसून के मौसम में सूखे के दौरान टैंडपोल और अंडों की रक्षा करते हैं।

Face to Face Centres



6 December 2024

- **संशोधित आवासों के लिए प्रजातियों का अनुकूलन:** मिनरवेरिया जैसी सामान्य प्रजातियाँ, जोकि दक्षिण एशिया में सामान्य हैं, धान के खेतों में अधिक संख्या में पाई गईं। यह उनके प्राकृतिक आवासों के नुकसान को दिखाता है, जिसके कारण उन्हें इन बदलते क्षेत्रों में रहना पड़ रहा है।
- **भूदृश्य परिवर्तन:** ज्वालामुखी गतिविधि से बने लैटेराइट पठार कृषि भूमि, विशेष रूप से आम और काजू के बागों में परिवर्तित हो रहे हैं। इससे उभयचरों के लिए महत्वपूर्ण जल निकायों की उपलब्धता कम हो रही है, जिससे जीवित रहने के लिए स्वच्छ जल स्रोतों पर निर्भर रहने वाली प्रजातियों को खतरा है।
- **जल संसाधनों का महत्व:** जल संसाधन उभयचरों के प्रजनन और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आवासों को परिवर्तित किया जाता है, तो यह जल प्रणालियों को बाधित करता है और आवास क्षरण का कारण बनता है। उभयचरों की उपस्थिति अक्सर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत होती है, जोकि वन्यजीवों और स्थानीय समुदायों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।



आवास क्षति को कम करने के लिए सिफारिशें:

- **मेंढक-अनुकूल कृषि वानिकी पद्धतियाँ:** कृषि वानिकी पद्धतियाँ, विशेषकर बागों में, मेंढकों के लिए अनुकूल बनाई जानी चाहिए। प्राकृतिक जल स्रोतों को बनाए रखना और कृषि क्षेत्रों में कृत्रिम जल स्रोत जोड़ना आवास की कमी को कम करने में मदद कर सकता है।
- **भूस्वामियों को संवेदनशील बनाना:** जागरूकता अभियान और प्रोत्साहनों के माध्यम से भूस्वामियों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जोकि उभयचर आबादी और जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं।
- **मीठे जल के आवासों का संरक्षण:** अध्ययन में उभयचरों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने और पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मीठे जल के आवासों के संरक्षण और पुनर्स्थापन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

संरक्षण प्रयासों का महत्व:

- अध्ययन में पश्चिमी घाट के लैटेराइट पठारों में हो रहे बदलावों के कारण संरक्षण कार्यों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। पश्चिमी घाट जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यह स्थानीय समुदायों के लिए जरूरी पारिस्थितिक सेवाएँ प्रदान करता है।

जलवायु परिवर्तन भी इन पारिस्थितिकी प्रणालियों पर दबाव डाल रहा है, जिससे इनकी सुरक्षा के लिए विशेष संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता और बढ़ गई है।

दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ

सन्दर्भ: हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सूक येओल ने 1980 के बाद पहली बार मार्शल लॉ की घोषणा की, जिससे देश में गंभीर राजनीतिक और संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। यह निर्णय नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी चिंता का विषय बन गया है।

मार्शल लॉ क्या है ?

- मार्शल लॉ एक अस्थायी आपातकालीन व्यवस्था है, जिसमें देश की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को सैन्य नियंत्रण के अधीन कर दिया जाता है। यह युद्ध, बड़े पैमाने पर हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं या आंतरिक विद्रोह जैसी असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाता है।
- **मार्शल लॉ के तहत:**
 - » नागरिक प्रशासन का स्थान सैन्य नियंत्रण ले लेता है।
 - » मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता निलंबित कर दी गयी हैं।
 - » सैन्यकर्मियों कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हैं।

दक्षिण कोरिया में वर्तमान प्रतिबंध

- दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा के तहत निम्नलिखित प्रतिबंध लागू किए गए हैं:
 - » **संसद में प्रवेश प्रतिबंधित:** सांसदों को नेशनल असेंबली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है।
 - » **राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध:** विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक समारोह और राजनीतिक समारोह निषिद्ध हैं।
 - » **मीडिया नियंत्रण:** सेना अब मीडिया आउटलेट और प्रकाशनों की देखरेख कर सकती है।
 - » **हड़ताल पर प्रतिबंध:** औद्योगिक हड़ताल और वाकआउट को अवैध घोषित कर दिया गया है।
 - » **यात्रा प्रतिबंध:** चेकप्वाइंट उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आवागमन को प्रतिबंधित करते हैं।
- इन उपायों का मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बहाल करना है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप नागरिक स्वतंत्रताओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते

संवैधानिक प्रावधान:

- कोरिया के संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार, युद्ध, सशस्त्र संघर्ष या इसी तरह की राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। यह निम्नलिखित की अनुमति देता है:

Face to Face Centres



6 December 2024

- » भाषण, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता सहित नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन।
- » कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को दरकिनार करने के लिए सैन्य अधिकार।
- संवैधानिक समर्थन के बावजूद, इस घोषणा को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयास के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा है, यहां तक कि राष्ट्रपति की पार्टी से भी।

सरकारी कामकाज	सरकार और अदालतों को निलंबित कर दिया जाता है।	दोनों कार्यशील बने रहते हैं।
उद्देश्य	कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए	युद्ध, आक्रमण या विद्रोह को समाप्त करने
संवैधानिक आधार	कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं	अनुच्छेद 352-360

भारत में मार्शल लॉ: अनुच्छेद 34

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में सेना विधि का उल्लेख है, जिसके तहत भारत में किसी भी क्षेत्र में सेना विधि घोषित की जा सकती है।
- **प्रावधान:**
 - » **मौलिक अधिकारों का निलंबन:** नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।
 - » **सरकारी और न्यायालय के कार्य स्थगित:** सामान्य प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को स्थगित कर दिया जाता है और सैन्य प्राधि कारियों को शासन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है।
 - » **अनुप्रयोग:** यह प्रावधान युद्ध, विद्रोह या बाहरी आक्रमण जैसे गंभीर संकट की स्थिति में लागू किया जा सकता है।
- भारत में मार्शल लॉ एक अंतिम उपाय है, जिसका उद्देश्य गंभीर संकट के दौरान व्यवस्था बहाल करना है।

भारत में मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल

	मार्शल लॉ	राष्ट्रीय आपातकाल
सीमा	केवल मौलिक अधिकारों पर प्रभाव	अधिकारों और संघीय संबंधों को प्रभावित करता है।

दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ के निहितार्थ

- **राजनीतिक परिणाम:** आलोचकों का तर्क है कि यह लोकतंत्र को कमजोर करता है और असहमति को दबाता है।
- **नागरिक स्वतंत्रताएँ:** मीडिया, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों ने स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है।
- **आर्थिक प्रभाव:** हड़तालों पर प्रतिबंध से औद्योगिक उत्पादन और निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।
- **वैश्विक चिंताएं:** दक्षिण कोरिया की लोकतांत्रिक छवि जांच के दायरे में है।

निष्कर्ष:

मार्शल लॉ की घोषणा दक्षिण कोरिया में राजनीतिक संकट की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हालांकि मार्शल लॉ का उद्देश्य असाधारण परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था को स्थापित करना है, इसके लागू होने से लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक स्वतंत्रताओं और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यह संकट स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि राजनीतिक और सामाजिक अशांति का सामना करने के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक समाधानों की आवश्यकता है, ताकि नागरिक अधिकारों का उल्लंघन न हो और शासन की वैधता बनी रहे।

पाँवर पैकड न्यूज

भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर ने जीता टर्नर पुरस्कार 2024

- भारतीय मूल की स्कॉटिश कलाकार जसलीन कौर को उनकी प्रदर्शनी "ऑल्टर अल्टर" के लिए प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह प्रदर्शनी बहुलता, पहचान, और व्यक्तिगत-राजनीतिक संबंधों जैसे विषयों की गहन प्रस्तुति करती है।
- निर्णायक मंडल ने कौर के कार्य की सराहना करते हुए इसे एक ऐसा दृश्य और श्रव्य अनुभव बताया, जोकि एकता और आनंद का प्रतीक है। उनकी कला में व्यक्तिगत और आध्यात्मिक तत्वों के गहरे एकीकरण और सामग्रियों के अभिनव उपयोग की भी प्रशंसा की गई।
- जसलीन कौर, 38 वर्ष की आयु में, इस वर्ष की पुरस्कार सूची में सबसे कम उम्र की नामांकित महिला थीं। टर्नर पुरस्कार के तहत उन्हें £25,000 का नकद पुरस्कार भी मिला है। ग्लासगो में जन्मी कौर की कला पर उनके परिवार के पंजाब से प्रवास का गहरा प्रभाव पड़ा है।
- "ऑल्टर अल्टर" प्रदर्शनी में कौर ने सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग किया है। इसमें एक पुरानी लाल फोर्ड एस्कॉर्ट, क्रोकेटेड डोली, पारिवारिक तस्वीरें, पूजा की घंटियाँ और उनके बचपन के साउंडट्रैक शामिल हैं, जोकि सांस्कृतिक विरासत और समकालीन कला का संगम प्रस्तुत करते हैं।
- 1984 में स्थापित टर्नर पुरस्कार ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कारों में से एक है, जोकि समकालीन कला में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। जसलीन कौर अब भारतीय मूल के प्रतिष्ठित कलाकार अनीश कपूर के साथ इस सम्मान की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें 1991 में यह पुरस्कार मिला था।

Face to Face Centres



6 December 2024

न्यायमूर्ति मुर्दु निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो को श्रीलंका का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया

- हाल ही में न्यायमूर्ति मुर्दु निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो ने श्रीलंका के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह देश के इतिहास में इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला हैं। उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश जयंता जयसूर्या के सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है। यह नियुक्ति संविधानिक परिषद द्वारा जयसूर्या द्वारा पारित प्रस्ताव को अनुमोदित करने के बाद की गई।
- न्यायमूर्ति फर्नांडो का श्रीलंका की कानूनी व्यवस्था में एक अत्यधिक सम्मानित करियर रहा है। उन्होंने 1997 में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल के रूप में अपनी कानूनी यात्रा शुरू की और बाद में 2014 में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया।
- कानूनी क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता और नेतृत्व को तब और मान्यता मिली जब उन्हें वरिष्ठ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। अपने पूरे करियर में, न्यायमूर्ति फर्नांडो ने अपनी कानूनी सूझबूझ और कानून के शासन को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए व्यापक सम्मान प्राप्त किया।
- नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति फर्नांडो की नियुक्ति को श्रीलंका के कानूनी और न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। उनके नेतृत्व से न्यायपालिका को प्रमुख कानूनी चुनौतियों का सामना करने और श्रीलंका की न्याय प्रणाली की अखंडता को मजबूत करने में मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है।



राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल (ई-मैप) विधिक मापविज्ञान प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा

हाल ही में उपभोक्ता मामले विभाग राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल, जिसे ई-मैप के नाम से जाना जाता है, विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्य विधिक मापविज्ञान विभागों और उनके पोर्टलों को एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली में समाहित करना है। वर्तमान में, राज्य सरकारों के पैकेज्ड वस्तुओं के पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने तथा तौल और माप उपकरणों के सत्यापन/मुद्रांकन के लिए अलग-अलग पोर्टल बने हुए हैं।

ई-मैप की मुख्य विशेषताएं:

- ई-मैप का प्राथमिक लक्ष्य विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने, और प्रवर्तन तथा अनुपालन प्रबंधन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
- ई-मैप को व्यापार में आसानी बढ़ाने और व्यापार प्रथाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना, कागजी कार्रवाई को घटाना और बेहतर विनियमन सुनिश्चित करना है।
- डेटा को केंद्रीकृत करके, ई-मैप डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम होगा, अधिक कुशल प्रवर्तन गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा, और प्रभावी नीति निर्माण का समर्थन करेगा। अंततः, यह भारत में समग्र कारोबारी माहौल में सुधार करते हुए कानूनी मापविज्ञान के लिए एक मजबूत और कुशल नियामक ढांचा बनाने की उम्मीद है।



Face to Face Centres

